न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2025
बनवारी पुत्र रामरख जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रामरख जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया — प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 30/06/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एचडीपी के खाता सं. 44 के प.नं. 0/260 के किला नं. 11 ता 14, 17 ता 20, प.नं. 1/261 के किला नं. 24, 25/1, 25/2 कुल तादादी 2.530 हैक. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 4 एचडीपी के खाता सं. 113 के प.नं. 0/260 के किला नं. 21 ता 24, प.नं. 1/261 के किला नं. 6/1 ता 8, 13 ता 18, 23 कुल 3.542 हैक. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा मे चक 4 एचडीपी के प.नं. 0/261 के किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक किला मे 0.025–0.025 हैक. गै.मु.रास्ता स्वीकृत है जो मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से अप्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आवागमन करता है। प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के प.नं. 0/260 के किला नं. 24 से आवागमन व औजार इत्यादि लेकर जाता है। वर्तमान मे अप्रार्थी के किला नं. 24 मे उक्त रास्ता के प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल, नजदीक एवं रास्ता नही है इसलिए प्रार्थी की कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 4 एचडीपी के प.नं. 0/260 के किला नं. 24 मे 0.025 हैक. बैजानिब पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त रास्ता के एवज मे प्रार्थी अप्रार्थी को डीएलसी दर से दौगुणी राशि देने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से वर्णित कृषि भूमि चक 4 एचडीपी के प.नं. 0/260 के किला नं. 24 मे 0.025 हैक. बैजानिव पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी होने पर उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है। प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट पत्रांक 527 दिनांक 02.06. 2025 से प्राप्त की गई है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा संबन्धित काश्तकार को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि में आने जाने के लिए रास्ता चाहा गया है। उस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कम दूरी का रास्ता नही लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा संबन्धित काश्तकार को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा जिस भूमि में आने जाने के लिए रास्ता चाहा गया है। उस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कम दूरी का रास्ता नही लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नही है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र 251–क स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि चक 4 एचडीपी के प.नं. 0/260 के किला नं. 24 मे 0.025 हैक. बैजानिव पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तहसीलदार पलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि रास्ता की एवज में प्रार्थी नाम दर्ज चक 4 एचडीपी के प.नं. 0/260 किला न. 17 के दक्षिण में रास्ता को छोड़ते हुए किला न. 24 के चिपती हुई 0.025 हैक. रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर [illegible] जावा दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 30/6/25 सरे इजलास [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:59:25 IST
Reason: SelfAttested

(अभिनव बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा